

No.EDN-GDC Telka/FCA/2019/20-23 , Dated 18/04/2024

O/o the Principal

Govt. Degree College Telka

Distt. Chamba (H.P.) Pin-176312.

Email Id: gctelka2017@gmail.com

Mob: 9418400078

सेवा में,

✓
वन मण्डल अधिकारी

सलूणी वन मण्डल

चुराह

DFA
Dmf

विषय:-

Diversion of 2.83 ha of forest land in favour of HP Department of Higher Education for the construction of Building & Campus of Govt. Degree College Telka, Distt. Chamba within the jurisdiction of Churah Forest Division, Distt. Chamba HP (Online Proposal No. FP/HP/Others /42960/2019).

संदर्भ:-

भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश कार्यालय पत्र संख्या 8बी/एच.पी./09/60/2020/एफ.सी./313 दिनांक 30/09/2021

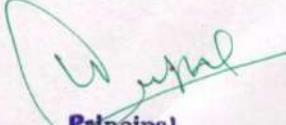
श्रीमान जी,

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मांगी गई मद वार सूचना निम्न

प्रकार से है:-

क्रम स०	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय शिमला द्वारा निर्धारित शर्तों का विवरण	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा अनुपालन
1	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।	भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा। बचन बढ़ता संलग्न है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी	दिए गए निर्देशों की अनुपालना की जाएगी। बचन बढ़ता संलग्न है।
3 (क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने परिभाषित वन भूमि पर अर्थात् 5.66 ha Village Nage-Da-Nal Forest Range Bhalei, Churah Forest Division,	वन विभाग द्वारा प्रस्तावित 5.66 ha Village Nage-Da-Nal Forest Range Bhalei, Churah Forest Division, Distt Chamba में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक

g/c Record
171
29/11/2021
अ.क.


Principal

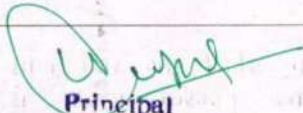
Govt. Degree Collage- Telka
Distt. Chamba (H.P.)
DDO Code 214

	Distt Chamba में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।	व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा। बचन बढ़ता संलग्न है।
(ख)	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की 10 वर्षों के अंतर्गत जितनी धनराशि बनती है यदि आवश्यक होगी वन मण्डल अधिकारी को जमा करवा दी जाएगी। बचन बढ़ता संलग्न है।
4. (क)	शुद्ध वर्तमान मूल्य:- इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में आई.ए. नंबर 556 दिनांक 30/10/2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5.1/1998-एफ.सी. दिनांक 18/09/2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03/10/2006 एवं 5-3/2007 एफ.सी. दिनांक 05/02/2009 में जारी दिशानिर्देशनुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.83 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी./CA की निर्धारित राशि Rs. 4526476/- इस कार्यालय के द्वारा दिनांक 30/03/2024 को NEFT/RTGS के UTR No. PUNBR52024033030025576 द्वारा ऑनलाईन CAMPA Head में जमा करवा दी गई है तथा विभागीय शुल्क राशि 294318/- रुपये इस कार्यालय के द्वारा ई-चालान न० B24D106081 दिनांक 06/04/2024 को जमा करवा दिया गया है। जिसकी छायाप्रति इस कार्यालय के पत्र संख्या No. EDN-GDC/Telka/FCA/2019/09, दिनांक 06/04/2024 द्वारा आपके कार्यालय को प्रेषित कर दी गई है। बचन बढ़ता संलग्न है।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शुद्ध वर्तमान मूल्य में अतिरिक्त धनराशि की बचन बढ़ता प्रमाण पत्र संलग्न है।
5.	राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहां भी संभव हो अपने	विभाग पूरी कोशिश करेगा की प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहां भी संभव हो अधिक से अधिक

	वृक्षों पर अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख रेख में रोपित कर हतममदमतल को उपदजंपद करने के बाबत बचनबद्ध प्रस्तुत की जाएगी।	स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख रेख में रोपित किया जाएगा। बचन बद्धता संलग्न है।
6.	एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से ही सुनिश्चित किया गया है। बचन बद्धता संलग्न है।
7.	माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ सी ए के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई है अतः राज्य सरकार मा. उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगा।	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी दिशा निर्देश होंगे तदनुसार ही कार्य किया जाएगा। बचन बद्धता संलग्न है।
8.	प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों का पातन शून्य होगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों का पातन शून्य होगा। बचन बद्धता संलग्न है।
9.	Part-I Para B 2.4 में Parking Component (area 0.10 ha) की entry नहीं की गई है अतः राज्य सरकार Layout Plan में प्रस्तावित कुल 9 component (area 0.10 ha) की entry Part-I में करना सुनिश्चित करे तथा अनुपालना रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।	Part-I Para B 2.4 में Parking Component (area 0.10 ha) की entry नहीं हो रही है। Status locked due to Technical Error. MOEF को e-mail के माध्यम से सूचित किया गया है।
10.	आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	दिए गए निर्देशों की अनुपालना की जाएगी। बचन बद्धता संलग्न है।
11.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से ही क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा की गई है। बचन बद्धता संलग्न है।
12.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	विभाग पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। बचन बद्धता संलग्न है।

13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा। बचन बद्धता संलग्न है।
14	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर न बनाए इसके लिए विभाग पर्यासरत रहेगा। बचन बद्धता संलग्न है।
15	माननीय उच्चतम न्यायलय नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ सी ए के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई है अतः राज्य सरकार मा. उच्चतम न्यायलय नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगा।	माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा जो भी दिशा निर्देश होंगे तदनुसार ही कार्य किया जाएगा। बचन बद्धता संलग्न है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	विभाग दी गई शर्त की अनुपालना करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। बचन बद्धता संलग्न है।
17	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी.पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा जिस पर Forward/Backward bearing अंकित हों।	सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों को पालन करने के लिए विभाग पर्यासरत रहेगा। बचन बद्धता संलग्न है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन भूमि का उपयोग विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेगा। बचन बद्धता संलग्न है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	इस विषय पर विभाग पूरी तरह से सहमत है। बचन बद्धता संलग्न है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-एफ.सी दिनांक 29/01/2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में जो भी शर्त लागू होंगी विभाग द्वारा उन पर अमल किया जाएगा। बचन बद्धता संलग्न है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	बचन बद्धता संलग्न है।

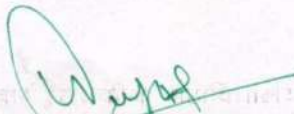
	इस वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे।	सरकार द्वारा दिए गए निर्देश का विभाग सख्ती से पालन करेगा। बचन बढ़ता संलग्न है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायलय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में जो भी शर्तें लागू होंगी विभाग द्वारा उन पर अमल किया जाएगा। बचन बढ़ता संलग्न है।
24	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बचन बढ़ता संलग्न है।


Principal

प्राचार्य राजकीय डिग्री कॉलेज तेलक
जिला चम्बा हि० प्र०
Distt. Chamba (H.P.)
DDO Code 214

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:-

1. प्रतिलिपि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय प्रथम एवं द्वितीय तल, सी०जी०ओ० परिसर लांगवुड, शिमला-171001 को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है। (e-mail moef.ddn@govt.in).
2. नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.) हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग टालैंड, शिमला (ई-मेल nodalcfcahp@yahoo.com)
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) हिमाचल प्रदेश सरकार आम्सडिल बिल्डिंग, शिमला (ई-मेल forestsecy-hp@nic.in)


Principal

प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलक
जिला चम्बा हि० प्र०
Govt. Degree College Telka
Distt. Chamba (H.P.)
DDO Code 214

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 1)

मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलका यह प्रमाणित करता हूं कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के भवन निर्माण के लिए वन भूमि की विधिक स्थिति को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

स्थान:- तेलका

दिनांक- 18/04/2024

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:- 01/05/2024

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय तेलका
जिला चम्पा (B.O)
Distt. Chanda B.O
DDO Code 214

वन मण्डल अधिकारी
Divisional Forest Officer
Chanda Forest Division
LALCON
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 2)

मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलका यह प्रमाणित करता हूं कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के भवन निर्माण के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

स्थान:- तेलका

दिनांक- 18.04.2024

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

मैं प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय

तेलका

दिनांक:- 01/05/2024

स्थान:-

दिनांक:-

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

मैं प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय

तेलका

दिनांक:-

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय तेलका

जिला गवर्नमेंट कोल्लग तेलका

Distt. Chamba (H.P)

DDO Code 214

वन मण्डल अधिकारी

Orinental Forest Office

चुराहा वन मण्डल

सलूणी।

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय तेलका

जिला गवर्नमेंट कोल्लग तेलका

वन मण्डल अधिकारी

चुराहा वन मण्डल

सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 3 क)

मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलका यह प्रमाणित करता हूं कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के भवन निर्माण के लिए वन विभाग द्वारा प्रस्तावित दुगुने वन भूमि पर अर्थात् वन विभाग द्वारा प्रस्तावित 5.66 ha Village Nage-Da-Nal Forest Range Bhalei, Churah Forest Division, Distt Chamba में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा।

स्थान:- तेलका

दिनांक-18.04.2024

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:- 01/05/2024

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय तेलका
Govt. Degree College
Distt. Chamba (H.I.)
DDO Code 214

वन मण्डल अधिकारी
Divisional Forest Office
चुराह वन मण्डल
Churah Forest Division
सलूणी

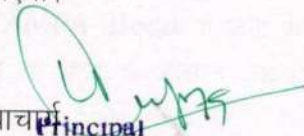
बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 3 ख)

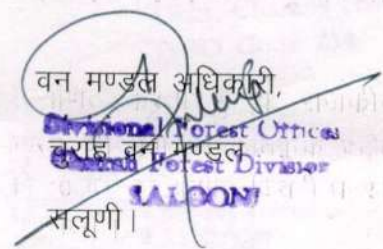
मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलका यह प्रमाणित करता हूं कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के भवन निर्माण के लिए प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की 10 वर्षों के अंतर्गत जितनी धनराशि बनती है यदि आवश्यक होगी वन मण्डल अधिकारी को जमा करवा दी जाएगी।

स्थान:- तेलका

दिनांक-18.04.2024


Principal
राजकीय महाविद्यालय तेलका
Govt. Degree College Telka
जिला चम्बा (H.P.)
Dist. Chamba (H.P.)
DDO Code 214

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-


वन मण्डल अधिकारी,
Divisional Forest Officer
चम्बा वन मण्डल
Chamba Forest Division
JALORI
सलूणी।

दिनांक:-01/05/2024

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय तेलका
जिला चम्बा (H.P.)

वन मण्डल अधिकारी,

चम्बा वन मण्डल

सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 4 क)

मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलका यह प्रमाणित करता हूं कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के भवन निर्माण के लिए (एन.पी.वी)/CA की निर्धारित राशि Rs. 4526476/- इस कार्यालय के द्वारा दिनांक 30/03/2024 को NEFT/RTGS के UTR No. PUNBR52024033030025576 द्वारा ऑनलाईन CAMPA Head में जमा करवा दी गई है तथा विभागीय शुल्क राशि 294318/- रुपये इस कार्यालय के द्वारा ई-चालान नं० B24D106081 दिनांक 06/04/2024 को जमा करवा दिया गया है

स्थान:- तेलका

दिनांक-18.04.2024

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय तेलका
जिला चम्बा
Distt. Chamba (H.F.)
DDO Code 214

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

वन मण्डल अधिकारी

Divisional Forest Officer

Chamba Division

सलूणी।

दिनांक:- 01/05/2024

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय तेलका

जिला चम्बा

वन मण्डल अधिकारी

Divisional Forest Officer

Chamba Division

सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 4 ख)

मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलका यह प्रमाणित करता हूं कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के भवन निर्माण के लिए (एन.पी.वी)/CA की निर्धारित राशि Rs. 4526476/- को ऑनलाईन जमा करवा दिया गया है तथा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यदि अतिरिक्त शुद्ध वर्तमान मूल्य बद्धता है तो विभाग उसे भी देने के लिए तैयार है।

स्थान:- तेलका

दिनांक-18.04.2024

कि राशि

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

यह भी

दिनांक:-01/05/2024

स्थान:- तेलका

दिनांक:-

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

यह भी

दिनांक:-

प्राचार्य

Principal
Govt. Degree College, Telka

राजकीय महाविद्यालय तेलका
Distt. Chamba (H.P.)

DDO Code 214

वन मण्डल अधिकारी

Divisional Forest Officer

मुख्य वन मण्डल

Chamba

सलूणी।

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय तेलका

जिला चम्बा (H.P.)

वन मण्डल अधिकारी

मुख्य वन मण्डल

सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 5)

मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलका यह प्रमाणित करता हूं विभाग पूरी कोशिश करेगा की प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहां भी संभव हो अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख रेख में रोपित किया जाएगा।

स्थान:- तेलका

दिनांक- 18.04.2024

प्राचार्य
Principal
राजकीय महाविद्यालय तेलका
Govt. Degree Collage Telka
जिला चम्बा हि० प्र०
Distt. Chamba (H.P.)
DDO Code 214

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

वन मण्डल अधिकारी

Distt. Forest Office

मुख्य वन मण्डल

Chamba

सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 6)

मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलका यह प्रमाणित करता हूं कि कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के भवन निर्माण के लिए एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से ही सुनिश्चित किया गया है।

स्थान:- तेलका

दिनांक-18.04.2024

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

मैं प्राचार्य
राजकीय
महाविद्यालय
तेलका
संबंधित
गया है।

स्थान:-

दिनांक:-

द्वारा प्रतिह

प्राचार्य
Principal
Govt Degree College, Telka
जिला चम्पा (H.P.)
DDO Code 214

वन मण्डल अधिकारी,
Divisional Forest Office
Chamla Forest Division
सलूनी

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय तेलका
जिला चम्पा (H.P.)

वन मण्डल अधिकारी,

चम्पा वन मण्डल

सलूनी

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 7)

मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलका यह प्रमाणित करता हूं कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के भवन निर्माण के लिए माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा जो भी दिशा निर्देश/निर्णय लिए जाएंगे विभाग को स्वीकृत होंगे।

स्थान:- तेलका

दिनांक-18.04.2024

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय तेलका
जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश
Govt. Degree Collge
Distt. Chamba (H.P.)
DDO Code 214

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

वन मण्डल अधिकारी
Divisional Forest Officer
चम्बा वन मण्डल
SALCON
सलूणी

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 8)

मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलका यह प्रमाणित करता हूं कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के भवन निर्माण के लिए प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों का पातन शून्य होगा।

स्थान:- तेलका

दिनांक-18.04.2024

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय तेलका
Govt. Degree Collage Telka
जिला चम्बा H.P.
Distt. Chamba (H.P.)
DDO Code 214

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

वन मण्डल अधिकारी
Environment Forest Officer
Chamba Forest Division
चम्बा वन मण्डल
सलूणी

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 9)

मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलका यह प्रमाणित करता हूं कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के भवन निर्माण के लिए Part-I Para B 2.4 में Parking Component (area 0.10 ha) की entry नहीं हो रही है। Status locked due to Technical Error. MDEF को E-Mail द्वारा सूचित किया गया है

स्थान:- तेलका

दिनांक-18.04.2024

Principal
राजकीय महाविद्यालय तेलका
जिला: बल्लभपुर
DDJ Code 214

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

वन मण्डल अधिकारी
Chandigarh Forest Division
चुराह वन मण्डल
सलूणी

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 10)

मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलका यह प्रमाणित करता हूं कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के भवन निर्माण के लिए विभाग प्रयासरत रहेगा की निर्माण कार्य के दौरान आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

स्थान:-तेलका

दिनांक-18.04.2024

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

प्राचार्य
Principal
राजकीय महाविद्यालय तेलका
Govt. Degree Collage Telka
जिला चम्बा हि. प्रो.
Distt. Chamba (H.P.)
DDO Code 214

वन मण्डल अधिकारी,
Divisional Forest Officer,
चुराह वन मण्डल
सलूणी

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 11)

मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलका यह प्रमाणित करता हूं कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के भवन निर्माण के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य और प्रतिपूरक वनीकरण की धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से ही जमा करवाई गई है।

स्थान:-तेलका

दिनांक-18.04.2024

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

प्राचार्य
Principal
राजकीय महाविद्यालय तेलका
Govt. Degree Collag. Telka
जिला चम्बा डि. प्रो.
Distt. Chamba (H.P.)
DDO Code 214

वन मण्डल अधिकारी
Forest Officer
चुनौट वन मण्डल
Chunaut Vn Mandal

सलूणी

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 12)

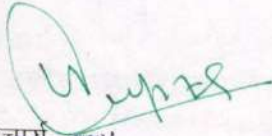
मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलका यह प्रमाणित करता हूँ कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के भवन निर्माण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए बाध्य हूँ।

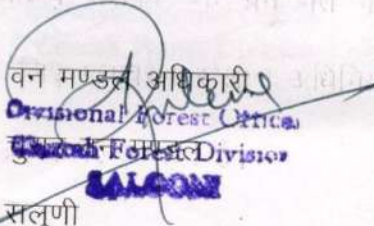
स्थान:- तेलका

दिनांक-18.04.2024

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

प्राचार्य


Principal
Gov. Degree College Telka
Distt. Chamba (H.P.)
DDO Code 214


Divisional Forest Officer
Chamba Forest Division
SALON

सलूणी

स्थान:-

दिनांक:-

द्वारा प्रमाणित:-

स्थान:-

राजकीय महाविद्यालय तेलका

जिला चम्बा हि.प्र.

वन मण्डल अधिकारी

मुख्य वन मण्डल

सलूणी

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 13)

मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलका यह प्रमाणित करता हूं कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के भवन निर्माण के लिए केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

स्थान:- तेलका

दिनांक-18.04.2024

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय तेलका

Govt. Degree College

Distt. Chamba (H.P.)

DDO Code 214

वन मंडल अधिकारी,

Divisional Forest Office

चुसीहवन मण्डल Division

LALOON

सन्तुषी

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय तेलका

Distt. Chamba (H.P.)

वन मंडल अधिकारी,

चुसीहवन मण्डल

सन्तुषी

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 14)

मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलका यह प्रमाणित करता हूँ कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के भवन निर्माण के लिए वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

स्थान:- तेलका

दिनांक- 18.04.2024

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय तेलका

Distt. Chamba (H.P.)

DDO Code 214

वन संपदा अधिकारी

Chamba Forest Division

चुराह वन संपदा

सलूणी

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 15)

मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलका यह प्रमाणित करता हूं कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के भवन निर्माण के लिए माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा जो भी दिशा निर्देश होंगे तदनुसार ही कार्य किया जाएगा।

स्थान:- तेलका

दिनांक- 18.04.2024

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय तेलका
जिला चम्बल H.I.
DDO Code 214

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

वन मण्डल अधिकारी
Divisional Forest Officer
Central Forest Division
सलूणी

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

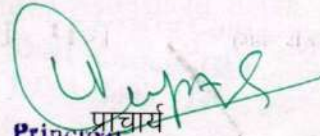
(मद संख्या 16)

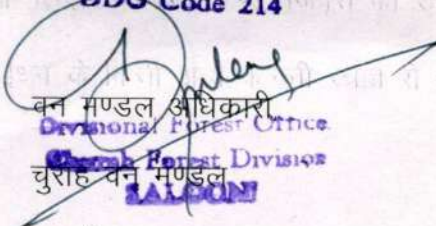
मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलका यह प्रमाणित करता हूं कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के भवन निर्माण के लिए निर्माण के लिए मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से ही पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन ही दिया जाएगा।

स्थान:- तेलका

दिनांक-18.04.2024

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-


Principal
राजकीय महाविद्यालय तेलका
Govt. Degree Collage Telka
जिला चम्बा हि. प्र.
Distt. Chamba (H.P.)
DDO Code 214


वन मण्डल अधिकारी
Divisional Forest Officer
चुसी वन मण्डल
TALSON
सलूणी

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 17)

मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलका यह प्रमाणित करता हूं कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के भवन निर्माण के लिए निर्माण के लिए आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन कर दिया जाएगा जिसपर Forward/Backward bearing अंकित होंगे।

स्थान:- तेलका

दिनांक-18.04.2024

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

प्राचार्य

सीमांकन

स्थान:-

दिनांक:-

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

P. प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय तेलका
Govt. Degree Collage Telka
जिला चम्बा हि. प्र.
Distt. Chambs (H.P.),
DDO Code 214

वन मण्डल अधिकारी
Divisional Forest Officer
Chamba Forest Division
चुराह वन मण्डल

सलूणी

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय तेलका
जिला चम्बा हि. प्र.

वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 1.8)

मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलका यह प्रमाणित करता हूँ कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के भवन निर्माण के लिए निर्धारित वन भूमि का उपयोग विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

स्थान:- तेलका

दिनांक-18.04.2024

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

प्र. प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय तेलका

Dist. Chitauri (H.P.)

DDO Code 214

वन मण्डल अधिकारी

Divisional Forest Office

Chitauri Division

सलूणी

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 19)

मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलका यह प्रमाणित करता हूं कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के भवन निर्माण के लिए निर्धारित वन भूमि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

स्थान:- तेलका

दिनांक-18.04.2024

प्रधान

Govt. Degree College Telka
Distt. Chamba (H.P)
जिला चम्बा (H.P)
DDO Code 214

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

म. ज. नं.
तेलका के
प्रत्यावर्तन
अथवा व्यक्ति

स्थान:- तेलका

दिनांक:- 18.04.2024

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

वन मण्डल अधिकारी,

Principal Forest Officer

चुराह वन मण्डल

Division

सलूणी

प्रधान

राजकीय महाविद्यालय तेलका

जिला चम्बा (H.P)

वन मण्डल अधिकारी,

चुराह वन मण्डल

Division

सलूणी

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

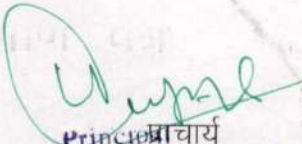
(मद संख्या 20)

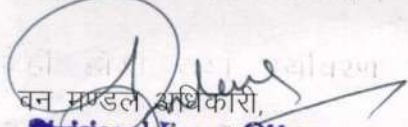
मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलका यह प्रमाणित करता हूँ कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के भवन निर्माण के लिए वन अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होगा तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन होगा।

स्थान:- तेलका

दिनांक-18.04.2024

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-


Principal
Govt. Degree College, Telka
Dist. Chamba (H.P.)
DDO Code 214


वन मण्डल अधिकारी,
Divisional Forest Office,
Chamba Forest Division
JALOON

सलूणी

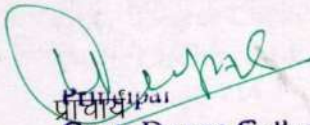
बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 21)

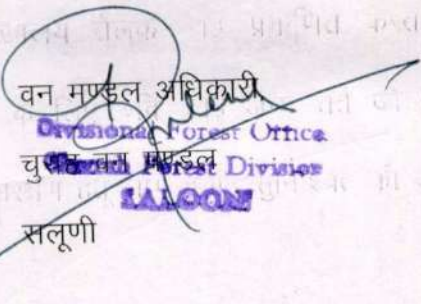
मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलका यह प्रमाणित करता हूं कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के भवन निर्माण के लिए यदि कोई अन्य शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु लागू होगी, सुनिश्चित की जाएगी।

स्थान:-तेलका

दिनांक-18.04.2024


Principal
Govt. Degree College Telka
Distt. Chamba (H.P.)
जिला चम्बा हि.प्र.
DDO Code 214

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-


वन मण्डल अधिकारी
Divisional Forest Officer
Chamba Forest Division
सलूणी

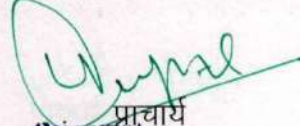
बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 22)

मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलका यह प्रमाणित करता हूं कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के भवन निर्माण के लिए पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण किया जाएगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे।

स्थान:- तेलका

दिनांक-18.04.2024



Principal
राजकीय महाविद्यालय तेलका
Govt. Degree Coll.
जिला चम्पा डि. प्र.
Distt. Chamba (H.P.),
DDO Code 214

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

राजकीय
पर
से तय

वन मण्डल अधिकारी,

राजकीय महाविद्यालय तेलका
जिला चम्पा डि. प्र.
Distt. Chamba (H.P.),
DDO Code 214

स्थान:- तेलका

दिनांक:- 18.04.2024

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

राजकीय
पर
से तय

वन मण्डल अधिकारी,

राजकीय महाविद्यालय तेलका
जिला चम्पा डि. प्र.
Distt. Chamba (H.P.),
DDO Code 214

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 23)

मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलका यह प्रमाणित करता हूं कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के भवन निर्माण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में जो भी शर्तें लागू होंगी विभाग द्वारा उन पर अमल किया जाएगा।

स्थान:- तेलका

दिनांक-18.04.2024

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय तेलका
जिला कांगड़ा (H.P.)
DDO Code 214

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

वन मण्डल अधिकारी,

कुसह वन मण्डल

सलूणी

स्थान:-

दिनांक:-

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय तेलका

जिला कांगड़ा (H.P.)

वन मण्डल अधिकारी,

कुसह वन मण्डल

सलूणी

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 24)

मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तेलका यह प्रमाणित करता हूं कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के भवन निर्माण के लिए हेतू सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

स्थान:- तेलका

दिनांक-18.04.2024

Principal
राजकीय महाविद्यालय तेलका
Distt. Chamba H.P.
जिला चम्बा हि.प्र.
DDO Code 214

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

वन मण्डल अधिकारी

चुसी वन मण्डल

सलूणी

No. EDN-GDC Telka/FCA /2019/ 825 Dated 30/03/2024
O/o the Principal Govt. Degree College Telka
Distt. Chamba (H.P.) Pin-176312.
Email Id : gctelka2017@gmail.com Mob: 9418400078

To

The Branch Manager

HPGB Telka, Distt. Chamba (H.P.).

Subject:- Authority letter regarding RTGS/NEFT.

Sir,

Please debit the amount of bill listed below through RTGS/NEFT from A/C No. 99111700018391 in the name and A/C. No. of the following beneficiary:-

Account Number	IFSC Code	Name of Beneficiary	Bank Name & Address	Amount
1507019942960379	UBIN0996335	HIMACHAL PRADESH CAMPA	Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027	45,26,476/- (Forty Five Lakh Twenty Six Thousand Four Hundred and Seventy Six Rupees Only)

000002412687

PONBR52024033030025576



Principal
Govt. Degree College Telka
Distt. Chamba (H.P.) Pin-176312.
DDO Code 214

AGENCY COPY

Union Bank

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-11-2023

Agency Name.	DIRECTOR OF HIGHER EDUCATION
Application No.	19942960379
MoEF/SG File No.	8B/HP/09/60/2020/FC
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address.	DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION , LAL PANI , SHIMLA, HPChamba
Amount(in Rs)	4526476/-

Amount in Words :Forty-Five Lakh Twenty-Six Thousand Four Hundred and Seventy-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507019942960379 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through ch even after 7 working days, then kindly mail a copy (id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse ubin0903710@unionbankofindia.bank